



Neutral Citation No. - 2026:AHC:50848-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या - 959/2014**

उत्तर प्रदेश राज्य माध्यमिक बेसिक शिक्षा एवं 2 अन्य

----- याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

श्याम नाथ यादव एवं 22 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : राजीव सिंह, स्थाई अधिवक्ता

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : भीम सिंह

**मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय**

**माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली,**

**माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र,**

**सिविल विविध विलंब क्षमा प्रार्थना पत्र**

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।
2. परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत आवेदन के समर्थन में दायर हलफनामे में दिए गए कथनों के मद्देनजर, हम संतुष्ट हैं कि आवेदक पर्याप्त कारणों से परिसीमा अवधि के भीतर विशेष अपील दायर करने से वंचित रहा।
3. तदनुसार, आवेदन स्वीकार किया जाता है और विशेष अपील दायर करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

**अपील ज़ापन पर आदेश**

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं ने कहा है कि इस विशेष अपील में उठाए गए मुद्दे विशेष अपील संख्या 734/2014 में दिनांकित निर्णय द्वारा समाप्त हो चुके हैं।
2. विशेष अपील संख्या 734/2014 में पारित निर्णय के मद्देनजर, यह विशेष अपील खारिज किए जाने योग्य है।
3. तदनुसार, विशेष अपील खारिज की जाती है।

**(क्षितिज शैलेन्द्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)**

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12 मार्च, 2026

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।